केंद्रीय विद्यालय 39वीं वाहिनी एस एस बी गदानिया पलिया कलां

प्रवेश सूचना

केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार, केंद्रीय विद्यालय 39वीं वाहिनी एस एस बी, गदानिया, पलिया कलां में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा II से VII तक की कक्षाओं में कुछ रिक्त स्थानों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया (OFFLINE) दिनांक 03/04/2023 को प्रातः 8 बजे से दिनांक 12/04/2023 सांय 2:00 बजे तक निम्न विवरण के अनुसार होगी । अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे

क्रम संख्या	कक्षा जिसमें प्रवेश के लिए पंजीकरण फॉर्म वितरित होगा	वर्तमान में रिक्तियां	31/03/2023 को अभ्यर्थी की आयु (वर्षों में)	टिप्पणी
1	II	05	07-09	रिक्त स्थान की संख्या घट-बढ़ सकती है|
2	III	01	07-09	
3	IV	02	08-10	
4	V	04	09-11	
5	VI	01	10-12	
6	VII	03	11-13	
7	VIII	06	12-14	

प्रवेश पंजीकरण फॉर्म को केंद्रीय विद्यालय 39वीं वाहिनी एस एस बी, गदानिया, पलिया की वेबसाइट (https://ssbpaliakalan.kvs.ac.in) से डाउनलोड और पूर्ण रूप से भरकर, आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ विद्यालय आकर जमा कर सकते हैं ।

पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है ।

1. जन्म प्रमाणपत्र (**पहली कक्षा में प्रवेश हेतु । अन्य कक्षायों में प्रवेश स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर होगा ।)**
2. निवास प्रमाणपत्र / यदि कोई पहचान पत्र हो जिसमें निवास का पता दर्ज हो । यदि अभिभावक किराये के मकान में रहते हों तो किरायानामा (१००/- के स्टैम्प पेपर पर) साथ ही मकान मालिक के नाम की अद्तन बिजली के बिल की फोटोकॉपी)।
3. अभ्यर्थी का रक्त समूह का प्रमाणपत्र ।
4. अभ्यर्थी का आधार कार्ड ।
5. अभ्यर्थी के माता /पिता की सेवा प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) और वेतन पर्ची (**यदि सरकारी कर्मचारी हो**)।
6. अभ्यर्थी के नाम से बना जाति प्रमाणपत्र (**यदि लागू हो**)।
7. अभ्यर्थी के नाम से बना **EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) यदि लागू हो** ।
8. अभ्यर्थी के माता / पिता का स्थानांतरण आदेश । (**यदि किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय से अभ्यर्थी का प्रवेश उस केंद्रीय विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी.के आधार पर होना है**) साथ ही सेवाग्रहण प्रमाण पत्र (JOINING CERTIFICATE) एवं वेतन पर्ची ।
9. एकल कन्या का शपथ पत्र (**निर्धारित प्रारूप पर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)। यदि लागू हो ।**

प्राचार्य द्वारा विद्यालय में बुलाएं जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही प्रवेश प्रभारी/प्राचार्य से संपर्क करे ।

प्राचार्य